राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हनुमान बनाम मंगलाराम

तारीख हुक्म	530/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। पत्रावली रेस्पो. की बहस हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
01/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
03/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25/07/2019 पारित करते हुए तहसीलदार सांगानेर को वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 517, 221, 542 से 544, 548 से 552, 563 से 571, 574 से 580, 595, 596, 718 से 720 कुल किता 31 कुल रकबा 9.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 586 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार क्षेत्र बगरूकला, तहसील सांगानेर का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड भौतिक कब्जे काश्त अनुसार विधिसम्मत (बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स) उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तकासमा कर अलग-अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गया, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/09/2020 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: अपील मीमो में अंकित तथ्यों पर एवं रेस्पो. की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से उसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियो का निस्तारण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है एवं सहखातेदारान के मध्य विभाजन न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान बनाम मंगलाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एक आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रियां है, ऐसेमें तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन को रोका जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/09/2020 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	